(48)

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2282/दो/2002 – विरुद्ध आदेश दिनांक 31-7-2002 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण कमांक 133/2001-02 निगरानी

खलक सिंह पुत्र करण सिंह
ग्राम बुढ़िया तहसील ईसागढ़
जिला गुना मध्य प्रदेश -- आवेदक

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन व्दारा तत्का.
कलेक्टर गुना वर्तमान अशोाकनगर ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)
(अनावेदक के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 8-3 -2016 को पारित)

अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 133/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-7-2002 के विरुद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार ईसागढ़ को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि ग्राम बुढ़िया में भूमि सर्वे नंबर 276 रकबा 4.953 हैक्टर में से रकबा 1.305 हैक्टर एंव सर्वे नंबर 281 रकबा 1.672 में से 0.139 हैक्टर पर कई वर्ष पूर्व से अतिकमण है इसलिये भूमि उसके नाम व्यवस्थापित की जाय। तहसीलदार ईसागढ़ ने प्रकरण कमांक 127 अ 19/1993-94 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 30-4-1994 पारित करके कुल किता 2 कुल रकबा 1.444 है. (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) का व्यवस्थापन कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने तहसीलदार के भूमि व्यवस्थापन प्रकरण का परीक्षण करने पर

अनियमिततायें पाने से अपर कलेक्टर अशोकनगर को जॉच प्रतिवेदन भेजा है, जिस पर से अपर कलेक्टर अशोकनगर ने आवेदक के विरूद्ध दिनांक 25-1-99 को स्वमेव निगरानी प्रकरण दर्ज करके कारण बताओ नोटिस जारी किया। अपर कलेक्टर अशोकनगर ने आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर देकर प्रकरण क्रमांक 98/1998-99 में आदेश दिनांक 23-3-99 पारित किया तथा तहसीलदार ईसागढ़ के प्रकरण क्रमांक 127 अ 19/1993-94 में पारित व्यवस्थापन आदेश दिनांक 30-4-1994 को निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 133/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-7-2002 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि अपर कलेक्टर अशोकनगर ने विलम्ब से स्वमेव निगरानी की है जो अवधि वाधित होने से चलने योग्य नहीं थी। अनावेदक के अभिभाषक ने स्वमेव निगरानी हेतु कोई समय-सीमा तय नहीं होना बताया। उभय पक्ष के अभिभाषक के तर्को के क्रम में अपर कलेक्टर अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 98/1998-99 स्व.निगरानी के अवलोकन पर स्थिति यह है कि जब वादग्रस्त भूमि के व्यवस्थापन में अनियमिततायें करने का अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर को पता चला, उन्होंने तहसीलदार ईसागढ़ के प्रकरणक्रमांक 127 अ 19/1993-94 को वर्ष 1995-96 में परीक्षण हेतु मॅगाया है क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी का परीक्षण प्रकरण क्रमांक 138 बी 121/1995-96 है। अनुविभागीय

अधिकारी ने व्यवस्थापन प्रकरण का परीक्षण कर अनियमितताऐं पाने पर अपर कलेक्टर अशोकनगर को तदाशय का प्रतिवेदन दिया है जिस पर से अपर कलेक्टर ने दिनांक 25-1-99 को स्वमेव निगरानी प्रकरण दर्ज किया है अर्थात जब तहसीलदार ईसागढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 127 अ 19/1993-94 में अनियमितताऐं कर भूमि व्यवस्थापन कर देने का तथ्य अपर कलेक्टर के अभिज्ञान में आया, उसके तत्काल वाद उन्होंने स्वमेव निगरानी प्रकरण दर्ज किया है। जहां आदेश अकृत एंव शून्यवत् तथा नियमों के विरूद्ध पारित किया गया हो - स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण करने में परिसीमा की बाधा नहीं है। (राधेश्याम शर्मा विरूद्ध बचन सिंह 2011 राजस्व निर्णय 75 से अनुसरित) अतः आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

5/ अपर कलेक्टर अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक 98/98-99 स्व.निगरानी में आदेश दिनांक 23-3-99 तथा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 133/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-7-2002 के अवलोकन से पाया गया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विस्तृत विवेचना कर निष्कर्ष दिये है एंव दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 133/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-7-2002 विधिवत् पाये जाने से स्थिर रखा जाता है।

(एम0के0सिह)
सदस्य
राजस्व मंडल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर